



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
(मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली- 110012

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJBHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692,
25846295
e-mail - nsc@indiaseeds.com

File No.11(7)/Wel/HO/Med. Att./2024-25

20 March, 2025

CIRCULAR

It has come to the notice of Competent Authority that the Medical Claims (OPD/IPD) submitted by the employees for reimbursement at Farms/Regional Offices are not being processed on time and being kept pending for months together without any justified reason and same has been viewed very seriously by the Competent Authority.

Henceforth, Farm Heads/Regional Managers are advised to ensure that the Medical Bills submitted by the employees for OPD treatment and for IPD for which they are competent authority to sanction must be processed as per NSC Medical Attendant Rules within three weeks from the date of receipt and payment to be released immediately after sanctioning.

As regard to Medical Claims for IPD treatment for which Farm Heads/ Regional Managers are not the competent authority to sanction as per NSC Medical Attendant Rules and required to be forwarded to Corporate Office for sanction must be properly checked as per NSC Medical Attendant Rules and also CGHS rates wherever applicable. Such claims must be properly scrutinized as per rules and same along with your recommendation, must be forwarded to Corporate Office within two weeks from the receipt of claim. Further, it has also been observed that the dependency of a person whose claim is submitted by the employee is not being checked/verified from the service records. Therefore, it should be ensured that the dependency may be checked/verified from the service record, the declaration provided by the employee annually pertaining to the period of claim, an annotation to be made in this regard while forwarding the claims to Corporate Office for sanction.

This is for information and strict compliance by the all concerned.

(Sheelendra Kumar)

General Manager (HR)-Wel.

Distribution:

1. All Farm Heads /Regional Managers.
2. DGM(Engg)-Wel for information & necessary action.
3. Office of the Director (Fin)/Comm. for information please.
4. IT Cell for uploading on NSC's website.



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
(मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली- 110012

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJBHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692,
25846295
e-mail - nsc@indiaseeds.com

File No: 11(7)/Wel/HO/Med./Att./2024-25

20 मार्च, 2025

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में आया है कि फार्म/क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों (ओपीडी/आईपीडी) का समय पर निपटान नहीं किया जा रहा है तथा बिना किसी उचित कारण के उन्हें कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है, तथा सक्षम प्राधिकारी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।

फार्म प्रमुखों/क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि कर्मचारियों द्वारा ओपीडी उपचार तथा आईपीडी के लिए प्रस्तुत चिकित्सा बिल, जिसके लिए वे स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, को प्राप्ति की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर एनएससी चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार संसाधित किया जाना चाहिए तथा स्वीकृति के तुरंत बाद भुगतान जारी किया जाना चाहिए।

आईपीडी उपचार के लिए चिकित्सा दावों के संबंध में, जिसके लिए फार्म प्रमुख/क्षेत्रीय प्रबंधक एनएससी चिकित्सा परिचर्या नियमों के अनुसार स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं तथा जिन्हें स्वीकृति के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है, उन्हें एनएससी चिकित्सा परिचर्या नियमों तथा जहां भी लागू हो, सीजीएचएस दरों के अनुसार उचित रूप से जांचा जाना चाहिए। ऐसे दावों की नियमों के अनुसार उचित जांच की जानी चाहिए तथा दावे की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर आपकी संस्तुति के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के अनुसार आश्रित व्यक्ति की सेवा अभिलेखों से जांच/सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेवा अभिलेखों से आश्रित व्यक्ति की जांच/सत्यापन किया जाए, दावे की अवधि से संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली घोषणा, दावों को मंजूरी के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय को अग्रेषित करते समय इस संबंध में उल्लेख किया जाए।

यह सभी संबंधितों की जानकारी और सख्त अनुपालन के लिए है।


(शीलेन्द्र कुमार)

महाप्रबंधक (मानव संसाधन) -कल्याण

वितरण:

1. सभी फार्म प्रमुख/क्षेत्रीय प्रबंधक।
2. उप महाप्रबंधक (अभि.)-कल्याण सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निदेशक (वित्त)/(वाणिज्य) के कार्यालय को सूचनार्थ।
4. सहा. महाप्रबंधक (अभि.)- आईटी सेल को एनएससी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।